अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

Corporate Identification Number (CIN)-U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, पंचशील नगर पॉवर हाउस, माकडवाली रोड अजमेर

Fax/Ph No.-0145-2644543/2644552 E-mail:-se_plan@rediffmail.com

क्र. अविविनिलि / अ.अ.(योजना) / अज. / आरई / प्रे. 5691 दि 12.X.15

आदेश

विषयः– कृषि कनेक्शनों में अनाधिकृत बढे हुये भार की **"स्वैच्छिक भार वृद्वि घोषणा योजना"** लागू करने के संबंध में।

कृषि क्षेत्र मे विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता मे वृद्वि और राजस्व हानि को रोकने के लिये कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उदेदश्य से **"स्वैच्छिक भार वृद्वि घोषणा येाजना"** पूर्व मे निगम के आदेश आर.ई.–अज 231 दिनांक 16.10.14 के द्वारा 10 अक्टूबर 2014 से 09 जनवरी 2015 तक लागू की गई थी । यह योजना आदेश संख्या आर.ई.अज–233 दिनांक 02.02.15 के द्वारा 31.03.2015 तक बढा दी गई थी । इसी क्रम मे **"स्वैच्छिक भार वृद्वि घोषणा योजना"** को निम्न प्रावधानों के अनुसार पुनः 15 अक्टूबर 2015 से 14 नवम्बर 2015 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है।

1. ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्वि करते है अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा / खेत / परिसर / मुरब्बा मे हो, दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढाते है उन्हें इस येाजना का लाभ नही दिया जायेगा ।
2. इस **"स्वैच्छिक भार वृद्वि घोषणा योजना"** के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है यदि विद्युत भार बढा हुआ पाया जावें तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नही ली जाकर मात्र धरोहर राशि जमा करवा कर भार नियमित किया जावें ।
3. जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नही हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु इसके लिये उन्हे धरोहर राशि के अतिरिक्त रू 2500 / – प्रति हॉर्स पावर (अतिरिक्त बढे भार पर) देने होगें ।
4. यदि पद (3) मे इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नही उठाते है तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं को बढे हुये भार पर प्रति एच.पी. रू (2500+2500) कुल रूपये 5000 / – मात्र पैनल्टी जमा करानी होगी ।
5. योजना अवधि मे योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्वि व नई 11 के.वी. लाईन एवं सब–स्टेशन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जायेगा ।

उक्त **"स्वैच्छिक भार वृद्वि घोषणा योजना"** की समाप्ति (14 नवम्बर 2015) के पश्चात भार सत्यापन के लिये अभियान चलाया जायेगा ।

9/10/15

(एन. एल. सालवी)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनिलि अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. सलाहकार (मानिटरिंग), माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
4. प्रबंध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
5. निदेशक (वित्त / तकनीकि), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
7. संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर / झुंझुनू / उदयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी (लेखा एवं बजट / आर.एण्डी.सी / आई.ए.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
10. अधीक्षण अभियन्ता (पवस / एम.एम. / टी.डबल्यू / एम.एण्ड.पी / आईटी / वाणिज्य / रा.गा.ग्रा.चि.यो / सर्तकता), अविविनिलि अजमेर (सी.सी. / डी.सी.) / भीलवाडा / नागौर / झुंझुनू / सीकर / बांसवाडा / डूंगरपुर / चितौडगढ प्रतापगढ / राजसमन्द / उदयपुर ।
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
12. प्रावैधिक सहायक–माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव–माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री के सूचनार्थ।
14. प्रावेधिक–सहायक, प्रबन्ध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
15. अधिशाषी अभियन्ता (ग्रिवेन्सेज / लीगल / एस.एण्ड.आई), अविविनिलि, अजमेर
16. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
17. सहायक निदेशक (जन सम्पर्क), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
18. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
19. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर / जयपुर

9/10/15

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)